न्यायालय प्रथम सिविल जज(अवर खण्ड), बुलन्दशहर।
उपस्थितः सौरभ ओझा, उ०प्र० न्यायिक सेवा।
J O CODE- U.P. 3265

वाद संख्या–2218 सन् 2021

श्रीमती रसीदन बेगम आयु करीब 60 वर्ष पुत्री श्री मौहम्मद सद्दीक पत्नी श्री मौहम्मद रफीक, कौम शेख कुरैशी, निवासी मौहल्ला ऊंचा तरीनान, कस्बा खुर्जा, परगना व तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, हाल निवासी ब्रह्मपुरी, पूजा पब्लिक स्कूल के पास गली 3 सी०, मकान नं० 193/8, दिल्ली–53।

.......वादिनी

बनाम

शफीक आयु करीब 45 वर्ष पुत्री श्री अब्दुल अजीज, निवासी मौहल्ला ऊंचा तरीनान, कस्बा खुर्जा, परगना व तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

.......प्रतिवादी

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः– 07.01.2026</u>

1. वादिनी द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध बेदखली अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है।

2. वादिनी का वादपत्र में संक्षेप में कथन है कि वादिनी निम्न वर्णित दुकान की स्वामिनी द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांकित 23.01.1995 इकरारी श्रीमती फात्मा बेगम बेवा श्री अब्दुल अजीज, कौम– शेख कुरैशी, निवासी मौहल्ला ऊंचा तरीनान, कस्बा खुर्जा, परगना व तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर है। बाद बैनामा दिनांकित 23.01.1995 निम्न वर्णित दुकान पर वादिनी के पति श्री मौहम्मद रफीक पुत्र श्री अब्दुल अजीज अपना कारोबार जनरल मर्चेन्ट तथा फल आदि बेचने का करते थे। वादिनी के पति श्री मौहम्मद रफीक दिसम्बर 2009 में अपने निजी कार्य से दिल्ली गये हुये थे, दिल्ली में वादिनी के पति श्री मौहम्मद रफीक को लगभग 1 सप्ताह का समय लग गया। इसी मध्य दिसम्बर 2009 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी ने निम्न वर्णित दुकान का ताला तोड़कर वादिनी के पति का सारा सामान निकाल लिया और निम्न वर्णित दुकान पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया, जिसका कि प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। वादिनी के पति श्री मौहम्मद रफीक ने प्रतिवादी की उक्त कृत्य के सम्बन्ध में शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के यहां दिनांक 15.01.2010 को की तथा वादिनी ने एक नोटिस दिनांक 15.01.2010 को प्रतिवादी को अपनी अधिवक्ता सुनीता वर्मा एडवोकेट बुलन्दशहर से दिलाया, जिसका गलत तथ्यों पर आधारित उत्तर प्रतिवादी ने अपने अधिवक्ता श्री समयवीर सिंह एडवोकेट से वादिनी के अधिवक्ता सुनीता वर्मा एडवोकेट को दिनांक 21.01.2010 को भिजवाया। तत्पश्चात् वादिनी तथा वादिनी के पति ने प्रतिवादी से निम्न वर्णित दुकान खाली करने के लिये जुबानी कहा, परन्तु प्रतिवादी साथ रजामन्दी निम्न वर्णित दुकान खाली कर निम्न वर्णित दुकान का कब्जा वादिनी को देने को तैयार नहीं है। मजबूरी वाद वास्ते प्राप्त करने दखल निम्न वर्णित दुकान तथा वास्ते वसूलयावी उपभोग धन दौरानेवाद व आईन्दा बाबत निम्न वर्णित दुकान प्रतिवादी के विरुद्ध योजित किया जाता है। निम्न वर्णित दुकान कस्बा खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के मौहल्ला शेख साहिबान के मुख्य बाजार में स्थित है और वर्तमान में कम से कम 2500/– रुपये माहवार किराये पर उठ सकती है, इसलिये वादिनी दौरानेवाद व आईन्दा दखल मिलने तक का निम्न वर्णित दुकान का उपभोग धन 2500/– रुपये महीना प्रतिवादी से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वाद का कारण दिसम्बर 2009 के प्रथम सप्ताह में जब प्रतिवादी ने निम्न वर्णित दुकान पर जबरदस्ती कब्जा किया और प्रतिवादी साथ रजामन्दी निम्न वर्णित दुकान का दखल

Digitally signed by Saurabh Ojha
Date: 2026.01.07 16:34:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादिनी को वापिस देने को तैयार नहीं हुआ, कस्बा खुर्जा, परगना व तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर में न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ और न्यायालय को वाद के सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त वाद का मूल्यांकन अनुतोष 'अ' के लिये निम्न वर्णित दुकान की बाजारू कीमत 3,00,000/– (तीन लाख) रुपये पर किया जाता है, और कानूनन देय न्यायशुल्क नियमानुसार अदा किया जाता है। वादिनी निम्नलिखित अनुतोष मांगती है–

अ– प्रतिवादी को निम्न वर्णित दुकान से बेदखल किया जाकर निम्न वर्णित दुकान का वास्तविक अध्यासन वादिनी को दिलाया जावे।

ब– वादिनी को प्रतिवादी से दौरानेवाद व आईन्दा दखल मिलने तक का निम्न वर्णित दुकान का उपभोग धन 2500/– रुपये माहवार की दर से दिलाया जावे, जिस पर यदि आवश्यक हुआ तो न्यायशुल्क निष्पादन के समय अदा किया जावेगा।

स– वाद व्यय वादिनी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

द– अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय की राय में वादिनी, प्रतिवादी से पाने की अधिकारिणी हो, वादिनी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

3. प्रतिवादी की ओर से वादिनी के उक्त वादपत्र के कथनों पर अपना प्रतिवादपत्र 17ए1 दाखिल किया गया, जिसमें कथन किया गया कि वादिनी के पति श्री रफीक प्रतिवादी के सगे भाई हैं प्रतिवादी के पिता अब्दुल अजीज के दो पुत्र रफीक (पति वादिनी), शफीक (प्रतिवादी) व पांच पुत्रियां श्रीमती जरीना, श्रीमती रफीकन, श्रीमती अन्ना, श्रीमती मुन्नी व श्रीमती अनीस हुई। वादिनी को कोई कारण वाद प्रतिवादी उत्तरदाता के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। वाद का मूल्यांकन बहुत कम किया गया है और कोर्ट फीस भी कम अदा किया गया है। वादिनी ने बिल्कुल असत्य कथनों के आधार पर वाद दायर किया है। वादिनी हरगिज भी वाद वर्णित दुकान की मालिक नहीं है। वादिनी अपने पक्ष में जो बैनामा बाबत वाद वर्णित दुकान बताती है वह अवैध व शून्य है, क्योंकि श्रीमती फात्मा पत्नी अब्दुल अजीज हरगिज भी दुकान विवादित की मालिक नहीं थी और उसे कोई अधिकार दुकान को बेचने का नहीं था। वाद वर्णित दुकान के मालिक अब्दुल अजीज थे और वह हनफीउल मजहब सुन्नी मुसलमान थे, उन्हें कोई हक उक्त दुकान की वसीयत श्रीमती फात्मा के पक्ष में करने का नहीं था क्योंकि श्रीमती फात्मा उनके वारिसान की श्रेणी में नहीं आती थी। श्रीमती फात्मा को कोई हक या मिलकियत उसके पति अब्दुल अजीज द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत 02.02.1979 से नहीं पहुंचती है, इसलिये श्रीमती फात्मा उक्त वसीयत दिनांक 02.02.1979 के आधार पर हरगिज भी वाद वर्णित दुकान की मालिक नहीं हुई इसी प्रकार वादिनी भी श्रमती फात्मा द्वारा वादिनी के पक्ष में निष्पादित बैनामा दिनांक 23.01.1995 के आधार पर मालिक नहीं हुई। वादिनी का यह कहना कतई गलत व सफेद झूठ है कि बैनामा के पश्चात उसे दुकान का दखल प्राप्त हुआ हो और बैनामे के बाद उक्त दुकान पर उसके पति मौहम्मद रफीक अपना कारोबार जनरल मर्चेन्ट व फल आदि का करते थे। वादिनी या उसके पति का कभी कोई दखल वाद वर्णित दुकान पर नहीं रहा। वादिनी का यह कहना भी कतई गलत व सफेद झूठ है कि माह दिसम्बर 2009 में उस समय जब उसके पति देहली गये हुये थे तब प्रतिवादी ने दुकान का ताला तोड़कर वादिनी के पति का सारा सामान निकाल लिया और दुकान का जबरदस्ती कब्जा कर लिया। सत्य यह है कि प्रतिवादी उत्तरदाता वाद वर्णित दुकान पर अपना मीट बेचने का कारोबार अपने माता पिता की जिन्दगी से ही अर्थात लगभग 30–31 वर्ष से बहैसियत मालिक दुकान कारोबार कर रहा है। वादिनी का पति 20–25 वर्ष से अपना कारोबार देली में कर रहा है और वहीं उसने अपनी रिहाईश कायम कर रखी है और वादिनी भी अपने पति के साथ लम्बे अरसे से देहली में ही निवास करती है। वादिनी के पति ने यदि कोई प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां प्रस्तुत किया है तो वह असत्य कथनों पर आधारित है और केवल झूठा व बनावटी सबूत बनाने के लिये प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी उत्तरदाता को वादिनी की ओर से असत्य व बनावटी कथनों के साथ एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसका सही उत्तर प्रतिवादी उत्तरदाता द्वारा दिला दिया गया। वादिनी ऐसी झूठ बनावटी कथनों पर आधारित नोटिस का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। वाद वर्णित दुकान मौहल्ला शेख साहेबान खुर्जा के ऐसे स्थान पर वाके हैं जहां अधिकतर मीट की ही दुकाने हैं उक्त दुकान हरिगज भी

2500/– रु० माहवार की दर से किराये पर नहीं उठा सकती है। वादिनी किसी अनुतोष की अधिकारिणी नहीं है। प्रतिवादी उत्तरदाता वादिनी से खर्चा खास पाने का अधिकारी है।

4. वादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में असल विक्रय पत्र 9ए1/1 लगायत 3 दाखिल किया गया है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक एवं माननीय उच्च न्यायालय तेलंगाना द्वारा प्रतिपादित निम्न विधि व्यवस्था–

(i) [2016 Legal Eagle 766] (ALLAHABAD HIGH COURT) Bansh Raj versus Raj Pat and Ors.

(ii) [2019 (135) ALR 884] (ALLAHABAD HIGH COURT) MUKESH SINGH and others versus SAURABH CHAUDHARY and others

(iii) AIR 1983 CALCUTTA 337

(iv) [2016 (117) ALR 19] (SUPREME COURT) MUDDASANI VENKATA NARSAIAH (D) through L.Rs. versus MAUDDASANI SAROJANA

(v) [2006 (64) ALR 162] (SUPREME COURT) PREM SINGH and others versus BIRBAL and others

(vi) [2018 (1) ARC 56] (SUPREME COURT) Smt. Bayanabai Kaware versus Rajendra S/o Baburao Dhote

(vii) 1982 (8) ALR 87

(viii) [2017 (125) ALR 375] (ALLAHABAD HIGH COURT) Smt. NOOR JAHAN BEGUM and another versus NOOR MOHAMMAD

(ix) [1996 Legal Eagle 137] (SUPREME COURT) Radhika Devi versus Bajrangi Singh and others

(x) [2019 Legal Eagle 1041] (SUPREME COURT) Govindbhai Chhotabhai Patel & Ors. versus Patel Ramanbhai Mathurbhai

(xi) [2014 Legal Eagle 1715] (KARNATAKA HIGH COURT) Mohammed Ashraf versus Tabbasum

(xii) [2011 Legal Eagle 627] (SUPREME COURT) Shehammal versus Hasan Khani Rawther & Ors

(xiii) [2025 Legal Eagle 627] (TELANGANA HIGH COURT) Ramoju Vimala Devi and other versus Katnapalli Vijayalaxmi and others

(xiv) [2019 (135) ALR 627] (ALLAHABAD HIGH COURT) RAM HARAKH and others versus BHAGWATI and others

(xv) [2017 (137) RD 624] (ALLAHABAD HIGH COURT) VIJAI BAHADUR versus ADDITIONAL COMMISSIONER and others

दाखिल की गई हैं, उक्त विधि व्यवस्थाओं का ससम्मान अवलोकन किया।

5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न विधि व्यवस्था–

(i) [2018 Legal Eagle (SC) 362] (SUPREME COURT) Eureka Builders & Ors. versus Gulabchand s/o Veljee Dand since Deceased by L.Rs. & Ors. Etc. Etc.

(ii) MAHNOOR FATIMA IMRAN versus M/S VISWESWARA INFRASTRUCTURE (SUPREME COURT)

(iii) [(2020) 7 SUPREME COURT 275) RATNAGIRI NAGAR PARISAD versus GANGARAM NARAYAN AMBEKAR AND OTHERS

दाखिल की गई हैं, उक्त विधि व्यवस्थाओं का ससम्मान अवलोकन किया।

6. वादिनी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में मुख्य साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में मौहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल अजीज कागज संख्या 41ए2 को परीक्षित कराया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त गवाह से जिरह की गयी है जो कि पत्रावली पर संलग्न हैं।

7. प्रतिवादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची 51सी1 से मूल लाइसेंस बाबत विक्रय करने मीट वर्ष 1979 का सं० 52ए1, मूल लाइसेंस बाबत विक्रय करने मीट वर्ष 1989 का सं० 53ए1, मूल लाइसेंस बाबत विक्रय करने मीट वर्ष 1997 का सं० 54ए1, मूल लाइसेंस बाबत विक्रय करने मीट वर्ष 2001 का सं० 55ए1, मूल लाइसेंस बाबत विक्रय करने मीट वर्ष 2005 का सं० 56ए1, मूल लाइसेंस बाबत विक्रय करने मीट वर्ष 2006–07 का सं० 57ए1 दाखिल किये गये।

8. प्रतिवादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में डी०डब्लू०–1 के रूप में शफीक पुत्र अब्दुल अजीज कागज संख्या 48ए2 तथा डी०डब्लू०–2 के रूप में श्रीमती मुन्नी पुत्री अब्दुल अजीज का शपथ पत्र 49ए2 दाखिल किया गया। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी साक्षियों से जिरह की गयी है जो पत्रावली पर संलग्न है।

9. वादिनी साक्षी पी०डब्लू०–1 मौहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल अजीज ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य शपथ पत्र 41ए2 में वाद पत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा अपनी जिरह में कथन किया है कि "खुर्जा में राशन कार्ड था, मगर भाई व माता जी ने जब्त कर लिया। मुझे नहीं पता कौन से सन में जब्त किया था। मुझे राशन कार्ड का नम्बर नहीं मालूम, मैं बिना पढ़ा–लिखा आदमी हूं। मुझे राशन कार्ड के डीलर का नाम भी नहीं पता। खुर्जा का वोटर आई०डी० कार्ड इस समय मेरे पास नहीं है, ढूंढने पर मिल जायेगा। मैंने अपना पहचान पत्र आधार कार्ड सब पत्रावली में दाखिल कर रखा है। गवाह को पत्रावली दिखाई गयी तो गवाह ने कहा कि इस पर कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि नहीं है। खुर्जा के मकान का नगर पालिका नम्बर मुझे मुंह जवानी याद नहीं है। मेरे पास रसीद है, मैं उसे दाखिल कर सकता हूं। यह कहना गलत है कि सन् 1975 में मैं खुर्जा छोड़कर दिल्ली चला गया हूँ और वहीं पर अपना कारोबार करता हूँ। यह सही है क विवादित दुकान मौहल्ला शेख शाहेवान में है। यह सही है कि विवादित दुकान के आसपास की दुकानों पर ज्यादातर गोश्त का काम होता है। विवादित दुकान के आसपास रफीक मीट का कारोबार करता है। मुझे रफीक की बल्दियत का नहीं पता। इब्राहिम भी मीट का काम करता था। इब्राहिम मर गया है, मुझे बल्दियत नहीं पता और कोई दुकान नहीं है, सिर्फ दो ही दुकाने हैं। इस दुकान के आसपास व सामने कोई अन्य व्यक्ति कारोबार नहीं करता है। इकराम व हाजी इस्लाम का क्रोकरी का कारोबार विवादित दुकान के सामने नहीं है। विवादित दुकान से बिन्दा वाला चौक की तरफ कौन–कौन लोग कारोबार करते हैं मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मैं इन लोगों के नाम इसलिये नहीं बता सकता क्योंकि सन् 1975 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। मेरे वालिद का नाम अब्दुल अजीज था। उनका इन्तकाल सन् 1979 में हुआ। मेरी मां का इन्तकाल मेरे वालिद के बाद हुआ था।

प्रश्नः जो बैनामा आपने दाखिल किया है उस पर आपकी माता का निशानी अंगूठा नहीं है।
उत्तरः– बैनामे पर मेरी जी का अंगूठा लगा है।
शफीक मेरा सगा भाई है, मेरे वालिद के दो बेटे मैं व शफीक थे। मेरी सगी पांच बहने हैं, मेरी बहनों के नाम जरीना, रफीकन, अन्नो, मुन्नी, अनीसा है। जरीना का इन्तकाल हो गया है, मैं नहीं बता सकता कि जरीना का इन्तकाल कब हुआ था, मैं यह भी नहीं बता सकता कि जरीना का इन्तकाल कितने साल पहले हुआ था। रफीकन का भी इन्तकाल हो गया है। मैं रफीकन के इन्तकाल का दिन, महीना, साल नहीं बता सकता। रफीकन का इन्तकाल कितने साल पहले हुआ नहीं बता सकता। यह कहना गलत है क हमारे पिता को कोई हक हमारी माता के पक्ष में वसीयत करने का नहीं था।

यह कहना भी गलत है कि हमारी माता किसी भी वसीयत से विवादित दुकान की मालिक न हुई हों। यह कहना भी गलत है कि मैंने विवादित दुकान पर कोई कारोबार न किया हो। यह कहना भी गलत है कि हमारा विवादित दुकान पर कोई दखल कभी न रहा हो। यह कहना भी गलत है कि विवादित दुकान पर शफीक ने ही अपने माता पिता की जिन्दगी में कारोबार किया हो और दखल में रहा हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे पिता ने मेरी माता के नाम विवादित दुकान की वसीयत कभी न की हो। यह कहना गलत है कि विवादित दुकान का कोई बैनामा मेरी माता ने मेरी पत्नी के नाम न लिखा हो।
सन् 1995 में मैं जब दिल्ली से लौटने पर पूरे मौहल्ले को बताया कि शफीक ने ताला लगाकर दुकान पर ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है। मैं उक्त घटना की शिकायत सम्बन्धित थाना पर की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं शिकायत की तारीख, महीन, साल नहीं बता सकता, क्योंकि 70 साल की उम्र हो गयी है, याद नहीं है। मैंने थाने में ताला टूटनेक की जुबानी शिकायत की थी। जब मेरी कोतवाली मे शिकायत नहीं सुनी तो मैं किसी बड़े अधिकारी के पास शिकायत लेकर नहीं गया था, जब थाने पर ही सुनवाई नहीं हुई हो तो मैं इसलिये ही बड़े अधिकारी के पास शिकायत लेकर नहीं गया। यह कहना गलत है कि मैं थाने पर शिकायत करने न गया हूँ। मैंने शफीक को नोटिस दिलवाया था। मेरी पत्नी ने नोटिस दिलवाया था, नोटिस दिलाते समय पत्नी मेरे साथ आई थी। वकील साहब को नोटिस के तथ्य मेरी पत्नी ने बताये थे। यह सही है कि विवादित मालिक पहले मेरे वालिद साहब थे। हम सुन्नी मुसलमान हैं। मेरे मुख्य पृच्छा के शपथपत्र की धारा 5 में दिल्ली जाने का जो कथन किया गया है वह सही है। जब मैं दिल्ली गया था तब मैं अपनी पत्नी व बच्चों को भी साथ लेकर गया था। मैं दिसम्बर 2009 में पहले भी दिल्ली गया था जिस समय मैं विवादित दुकान पर कारोबार करता था उस समय सरकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। मैंने विवादित दुकान के आस पास की किसी दुकान की किराये की रसीद दाखिल नहीं की है न ही मैंने विवादित दुकान के आस पास के किसी बैनामे की कॉपी दाखिल की है। मैं किस आधार पर वादी की दिनांक की तारीख पर विवादित दुकान ढाई हजार रु० माहवार किराये की उठत कर रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैंने व मेरी पत्नी ने शफीक से कभी भी दुकान खाली करने के लिये न कहा हो। यह कहना भी गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

10. प्रतिवादी साक्षी डी०डब्लू०–1 शफीक पुत्र अब्दुल अजीज ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य शपथ पत्र 48 ए 2 में वाद पत्र के कथनों के विपरीत अपनी जिरह में कथन किया है कि "हमारे पांच बहनें व दो भाई हैं। मेरे बड़े भाई रफीक हैं और छोटा मैं हूं। श्रीमती रशीदन (वादिनी) मेरी भाभी गलती है। श्रीमती फात्मा मेरी माता जी थी। यह कहना गलत है कि सन् 1995 में वादिनी के पति विवादित दुकान में जनरल मर्चेन्ट तथा फल आदि बेचने का कारोबार करते हो। यह कहना भी गलत है कि विवादित दुकान पर वादिनी के पति द्वारा उक्त कारोबार किये जाने के कारण विवादित दुकान का बैनामा मेरी भाभी ने मेरी माता जी से कराया हो। यह कहना भी गलत है कि मुझे विवादित बैनामे की जानकारी शुरु से रही हो। मैं विवादित बैनामे को निरस्त कराने की कार्यवाही की थी। विवादित बैनामे को निरस्त कराने की कार्यवाही चलर ही है। कार्यवाही बुलन्दशहर चल रही है, मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि कौन सी कोर्ट में चल रही है, फिर कहा कि इसी कोर्ट में चल रही है। यह कहना भी गलत है कि श्रीमती फात्मा जरिये वसीयत विवादित दुकान की मालिकन रही हो। विवादित दुकान के पहले मालिक मेरे पिता अब्दुल अजीज थे। मेरे पिताजी ने इस दुकान की कभी कोई वसीयत नहीं की। मैंने अपना ब्यान हल्फी इस न्यायालय में दिया था। मैंने शपथपत्र पढ़वाकर नहीं समझा था। मैंने ब्यान हल्फी पर जहां वकील साहब ने कहा वहां हस्ताक्षर/अंगूठा कर दिये थे। मैं अपने दस्तखत कर लेता हूं। मैंने ब्यान हलफी पर दस्तखत हिन्दी में किये हैं। मेरे ब्यान हल्फी में जो लिखा है वह मेरे वकील साहब ने लिखा है, मैं नहीं कह सकता कि उसमें सही लिखा है या गलत। मैं हिन्दी नहीं पढ़ पाता। मैं सिर्फ दस्तखत कर लेता हूं। मेरे ब्यान हल्फी की धारा–5 में यह बात गलत लिखी है कि श्रीमती फात्मा को कोई हक या मिलकियत उसके पति अब्दुल अजीज द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत 02.02.1979 से नहीं पहुंचती है।

प्रश्नः–इकरारी श्री अब्दुल अजीज बहक श्रीमती फात्मा को निरस्त कराने का कोई मुकदमा कभी किसी अदालत में दायर किया?

उत्तरः– जब वसीयत की ही नहीं तो हम मुकदमा क्यों दायर करते।

मैंने दिनांक 02.02.1979 की कोई वसीयत नहीं देखी। मैंने अपना ब्यान हल्फी दायर करने से पहले भी कोई वसीयत नहीं देखी। मैंने वसीयत की कोई सत्यापित प्रति लेने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई वसीयत की ही नहीं। यह कहना गलत है कि 02.02.1979 को श्री अब्दुल अजीज ने श्रीमती फात्मा के हक में रजिस्टर्ड वसीयत की हो। यह कहना भी गलत है कि 02.02.1979 से मुझे इस वसीयत की जानकारी हो। यह कहना भी गलत है कि मुझे जानकारी होने की वजह से मैंने उक्त वसीयत की कोई सत्यापित प्रतिलिपि रजिस्ट्री दफ्तर से प्राप्त की हो। श्रीमती फात्मा ने वादिनी स्रीमती रशीदन के हक में विवादित दुकान का कोई बैनामा दिनांक 23.01.1995 को नहीं किया।

न ही मैंने ऐसा कोई बैनामा देखा, न ही मैंने दिनांक 23.01.1995 के बैनामे की सत्यप्रतिलिपि रजिस्ट्री दफ्तर से ली। मेरे पिता जी की मृत्यु सन् 1984 में हुई थी। यह कहना गलत है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद उपरोक्त वसीयत के आधार पर मेरी माता जी श्रीमती फात्मा विवादित दुकान की स्वामी हो गयी हो। यह कहना भी गलत है कि श्रीमती फात्मा ने 23.01.1995 को वादिनी के हक में विवादित दुकान का बैनामा कर दिया हो और बाद बैनामा श्रीमती रशीदन विवादित दुकान की मालिक व काबिजदार हो गयी हो। यह कहना भी गलत है कि वादिनी की तरफ से वादिनी के पति मौ० रफीक विवादित दुकान पर बाद बैनामा अपना फल आदि का व्यवसाय करते हो। यह कहना भी गलत है कि दिसम्बर 2009 में मैंने विवादित दुकान का ताला तोड़कर उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो। मैं मौहल्ला तरीनान ऊंचा, खुर्जा में रहता हूँ। विवादित दुकान मौहल्ला शेख शाहवान में है। मैं विवादित दुकान का नगर पालिका नम्बर नहीं बता सकता। विवादित दुकान के पश्चिम में दुकान इकराम, पूरब में दुकान रफीक, उत्तर में दुकान इकराम, दक्षिण में सड़क है, उसके बाद हाजी इस्लाम का मकान है। पत्रावली पर दाखिल लाइसेन्स जो मैंने अपने गोश्त के व्यापार के सम्बन्ध में दाखिल किये हैं, उन पर दुकान नगर पालिका नम्बर तथा हदूद दरवा लिखा हुआ है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा दाखिल किसी भी लाइसेन्स पर कोई दुकान नगरपालिका नम्बर या दुकान का हदूद दरवा लिखा हुआ न हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे द्वारा दाखिल लाइसेन्स विवादित दुकान से सम्बन्धित न हो। यह कहना भी गलत है कि दिसम्बर 2009 से पहले मेरा विवादित दुकान पर कभी कोई कब्जा न रहा हो।"

11. प्रतिवादी साक्षी डी०डब्लू०–2 श्रीमती मुन्नी पुत्री अब्दुल अजीज ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य शपथ पत्र 49ए2 में वाद पत्र के कथनों के विपरीत अपनी जिरह में कथन किया है कि "मेरे पिता का नाम अजीज है, मैं मौहल्ला काजीखेल में रहती हूँ। विवादित दुकान हमारे घर खुर्जा मे है कौन से मौहल्ले में है मुझे नहीं पता, फिर कहा शायद मौहल्ला तरीनान में है। मैंने दुकान देखी है, मुझे उसका नगर पालिका नम्बर नहीं पता। विवादित दुकान के पूरब में क्या है, यानी जिधर सूरज निकलता है, मुझे नहीं पता। मुझे यह भी नहीं पता जिधर सूरज छिपता है यानी पश्चिम में क्या है। मुझे यह भी नहीं पता उत्तर में यानी जिधर गंगा है क्या है। मुझे यह भी नहीं पता जिधर यमुना है यानी दक्षिण में क्या है। मैंने अब से की साल पहले दुकान देखी थी, दुकान देखने का ठीक दिन तारीख, महीना साल नहीं बता सकती। अजीज ने जो वसीयत मेरी मां के नाम की थी, उसे निरस्त कराने का कोई मुकदमा मैंने दायर नहीं किया। यह सही है कि हमने वसीयत पर ऐतराज इसलिये नहीं करा क्योंकि हम सभी बहन–भाइयों ने उस पर अपनी रजमान्दी दी थी। हमारी मां ने जो बैनामा रशीदन के हक में किया उसे भी निरस्त कराने को कोई मुकदमा हमने दायर नहीं किया। रशीदन के पति का नाम रफीक है। यह कहना गलत है कि रफीक इस दुकान में फल आदि बेचने का कार्य करता हो। पिछल आठ सालों से इस दुकान पर रफीक बैठता है। यह कहना गलत है कि आठ साल पहले रफीक ने दिसम्बर 2009 में विवादित दुकान पर ताले तोड़कर जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो।"

12. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर दिनांक 23.01.2012 को वाद बिन्दु संख्या 1 ता 5 विरचित किये गये। विरचित वाद बिन्दु इस प्रकार हैं–

1– क्या वादिनी वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार वादपत्र के अन्त में वर्णित दुकान की पंजीकृत बैनामा दिनांक 23.01.1995 के आधार पर स्वामिनी है?

2– क्या वादिनी प्रतिवादी से दौरानेवाद व आईन्दा दखल मिलने तक निम्न वर्णित दुकान का उपभोग धन 2500/– रुपये माहवार की दर से पाने की अधिकारिणी है?

3– क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

4– क्या कोर्ट फीस कम अदा की गयी है?

5– क्या वादिनी प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष पाने की अधिकारिणी है? यदि हां तो क्या?

उभयपक्षों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्यक साक्ष्य का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु सं०–1

वाद बिन्दु सं० 1 इस आशय का विरचित है कि क्या वादिनी वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार वादपत्र के अन्त में वर्णित दुकान की पंजीकृत बैनामा दिनांक 23.01.1995 के आधार पर स्वामिनी है?

उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादिनी का है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिनी द्वारा यह वाद वादग्रस्त दुकान जिसका बैनामा दिनांक 23.01.1995 को निष्पादित किया गया था उक्त दुकान की स्वामिनी होने एवं वादग्रस्त दुकान पर कब्जा वापस दिलाने के बाबत प्रस्तुत किया गया है। वादिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि बैनामा दिनांकित 23.01.1995 के बाद से वादग्रस्त दुकान पर वादिनी के पति मौ० रफीक पुत्र अब्दुल अजीज अपना कारोबार करते थे। वादिनी के पति दिसम्बर 2009 में जब अपने निजी कार्य से दिल्ली गये हुये थे और उन्हें वापस आने में एक सप्ताह का समय लगा उसी दौरान प्रतिवादी ने वादग्रस्त दुकान का ताला तोड़कर वादिनी के पति का सारा सामान निकालकर कब्जा कर लिया जिसके बाबत पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के यहां दिनांक 15.01.2010 को शिकायत करना बताया जाता है। उक्त दुकान पर बेदखली से वाद के निस्तारण तक उपभोग धनराशि दिलाने का अनुतोष भी चाहा गया है। मुख्य रूप से वादिनी का अनुतोष प्रतिवादी को वादग्रस्त दुकान से बेदखल करते हुए वादिनी को अध्यासन दिलाने का है। वादिनी द्वारा वादपत्र के समर्थन में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 23.01.1995 मूल रूप कागज सं० 9ए1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह विक्रय पत्र वादिनी के पक्ष में मु० 4,640/– रुपये प्रतिफल देते हुये निष्पादित कराया गया है। वादिनी के अभिकथनों का मुख्य आधार यही विक्रय पत्र है, इसलिये न्यायालय को उक्त विक्रय पत्र की वैधता का विश्लेषण करना है। विक्रय पत्र की अन्तर्वस्तुओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि वादग्रस्त दुकान जिसकी लम्बाई 10 फीट व चौड़ाई 8 फीट कुल क्षेत्रफल 7.4 वर्ग मीटर है। दुकान का नम्बर 75 है तथा विक्रेता ने स्वयं को जरिये वसीयतनामा जो उसके पति द्वारा दिनांक 21.02.1979 को पंजीकृत किया था, इसी आधार पर मालिक व काबिज बताया है। विक्रय पत्र में दुकान की हदूदर्बी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है तथा दो गवाहों लईक व अब्दलू रहूफ से सत्यापित भी कराया गया। उक्त विक्रय पत्र का खण्डन करते हुये प्रतिवादपत्र की धारा 11 में प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि विक्रेता श्रीमती फात्मा पत्नी अब्दुल अजीज हरगिज दुकान के मालिक नहीं थे, इसलिये उन्हें कोई अधिकार दुकान को बेचने का नहीं था। उक्त वादग्रस्त दुकान के स्वामी अब्दुल अजीज जो सुन्नी मुसलमान थे उन्हें कोई अधिकार दुकान की वसीयत श्रीमति फात्मा के पक्ष में करने का नहीं था क्योंकि श्रीमती फात्मा उनकी वारिस की श्रेणी में नहीं आतीं। इसी आधार पर प्रतिवादी द्वारा बिना अधिकार बैनामा करने के कारण बैनामा दिनांकित 23.01.1995 को शून्य बताया है। प्रतिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि बैनामे के पश्चात् वादिनी का दखल वादग्रस्त दुकान पर नहीं था, बल्कि प्रतिवादी वादग्रस्त दुकान पर अपना मीट

बेचने का कारोबार अपने माता पिता के जीवित रहने के समय से ही करता चला आ रहा है, लगभग 30 से 31 वर्षों से मालिक की हैसियत से दुकान पर कारोबार कर रहा है। वादिनी का पति 20–25 वर्ष से अपना कारोबार दिल्ली में कर रह रहा है और वादिनी भी दिल्ली में ही निवास करती है। वादिनी के पति ने कभी कोई प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि यह वाद आदेशात्मक आज्ञप्ति हेतु इस आशय से योजित किया गया है कि वादग्रस्त दुकान पर कब्जा वादिनी को दिलाया जाये। इस स्तर पर वादिनी पर यह साबित करने का भार है कि वह वादग्रस्त दुकान की स्वामिनी है, इसे साबित करने के लिये वादिनी द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 23.01.1995 प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायालय वैध मानने की उपधारणा करता है परन्तु वादिनी को यह भी साबित करना है कि जिस व्यक्ति द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है उसे वादग्रस्त दुकान का विक्रय करने का अधिकार था अथवा नहीं। प्रतिवादी द्वारा अपने कब्जे को साबित करने के लिये उक्त वादग्रस्त दुकान का वर्ष 1979 का लाइसेन्स मृतक अजीज के नाम प्रस्तुत किया गया है जो पत्रावली पर कागज सं० 52ए1 के रूप में संलग्न है तथा उक्त प्रपत्र पर मीट का व्यवसाय का लाइसेन्स जारी किया गया है। प्रतिवादी द्वारा कागज सं० 53ए1 दिनांकित 18.10.1989 जिसपर शफीक अहमद का नाम दर्ज है भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि इस पर भी मीट के व्यवसाय का लाइसेन्स सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। इसी आशय का प्रपत्र 54ए1 भी पत्रावली पर प्रतिवादी के नाम से वर्ष 1998 का मूल रूप से संलग्न किया गया है। प्रतिवादी द्वारा कागज सं० 55ए1, 56ए1, 57ए1 पर वादग्रस्त दुकान पर चल रही मीट की दुकान का लाइसेन्स के प्रपत्र वर्ष 2006 तक प्रस्तुत किये गये हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वादग्रस्त दुकान पर पूर्व से ही मीट बेचने का व्यवसाय प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार वादिनी द्वारा दुकान चलाने का कथन सन्देहास्पद प्रतीत हो रहा है क्योंकि वादिनी द्वारा ऐसा कोई अभिलेखीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वह बैनामा होने के बाद से अर्थात् 1995 से फल बेचने अथवा जनरल मर्चेन्ट का कारोबार करता चला आ रहा है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि वादिनी वादग्रस्त दुकान पर कब्जे में नहीं थी। जहां तक विक्रय पत्र की वैधता का प्रश्न है उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन श्रीमती फात्मा द्वारा किया गया है। श्रीमती फात्मा मृतक अब्दुल अजीज की पत्नी है जिन्हें यह वादग्रस्त दुकान कथित वसीयत वर्ष 1979 से प्राप्त हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी द्वारा उक्त वसीयत को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे वादिनी के स्वामित्व की श्रृंखला का प्रमाण न्यायालय के समक्ष नहीं आ सका है। मुस्लिम विधि में पति अपनी पत्नी के पक्ष में अपनी सम्पत्ति के 1/3 भाग से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकता है, यदि वह 1/3 भाग से अधिक की वसीयत करता है तो उसे अन्य विधिक उत्तराधिकारियों की सहमति लिखित रूप से लेनी आवश्यक है। इस वाद में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वादग्रस्त दुकान मौ० अजीज अहमद की सम्पत्ति का कितना हिस्सा था, यह सिद्ध करने का भार वादिनी पर है कि उक्त वादग्रस्त दुकान अजीज अहमद की सम्पत्ति की 1/3 से अधिक नहीं थी और अजीज अहमद को अपनी सम्पत्ति के 1/3 भाग तक ही वसीयत करने का अधिकार प्राप्त था। यदि प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति की जा रही है तो इसे सिद्ध करने का भार वादिनी पर है न कि प्रतिवादी पर, क्योंकि उक्त कथित विक्रय पत्र का लाभ वादिनी ही लेना चाहती है और वादग्रस्त दुकान पर कब्जा प्राप्त करना चाहती है। साक्ष्य के रूप में वादिनी के पति मौ० रफीक का बयान हुआ है, साक्ष्य शपथपत्र में वादपत्र के कथनों का समर्थन किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बैनामा होने के बात से ही वह किस प्रकार से जनरल मर्चेन्ट का व्यवसाय करता चला आ रहा है, उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त दुकान के आसपास ज्यादातर गोश्त का काम होता है। उक्त साक्षी ने विवादित दुकान के आसपास शफीक द्वारा मीट का कारोबार को स्वीकार किया है। उक्त साक्षी से सुझाव के रूप में प्रश्न पूछा गया कि किया वह वर्ष 1975 में दिल्ली चला गया था तो साक्षी ने इसे अस्वीकार कर दिया। उक्त साक्षी का सगा भाई प्रतिवादी है तथा दिल्ली से लौटने पर उक्त साक्षी को मौहल्ले को लोगों ने बताया कि शफीक ने ताला लगाकर दुकान पर कब्जा कर लिया है जिसकी शिकायत पुलिस में की गयी थी, परन्तु उक्त शिकायत का कोई अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही भी पुलिस द्वारा नहीं की गयी है। उक्त साक्षी

ने थाने में ताला टूटने की जुबानी शिकायत करना बताया है। यह भी उल्लेखनीय है कि दुकान पर कब्जा किये जाने के बाद वादिनी के पति के द्वारा पुलिस के उच्चाधिकारियों के पास कोई शिकायत नहीं की गयी तथा समाज के लोगों द्वारा भी कोई पंचायत नहीं करायी गयी है, जिससे वादिनी के पति का वादग्रस्त दुकान पर पूर्व से ही व्यवसाय किये जाने का अभिकथन सन्देहास्पद साबित हो जाता है। प्रतिवादी द्वारा साक्षी के रूप में श्रीमती मुन्नी को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भ से ही वादग्रस्त दुकान पर मीट का कारोबार करने का कथन किया गया है। साक्षी शफीक द्वारा विवादित दुकान का पहला मालिक उसके पिता अब्दुल अजीज को बताया गया है। यह भी कथन किया गया है कि अब्दुल अजीज ने कभी कोई वसीयत नहीं की थी और यह बात गलत लिखी है कि श्रीमती फात्मा को कोई हक उसके पति अब्दुल अजीज द्वारा वसीयत दिनांकित 02.02.1979 से नहीं बनता है। यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त साक्षी द्वारा वसीयत निरस्तीकरण का कोई भी मुकदमा किसी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है क्योंकि साक्षी शफीक ने वसीयत को ही स्वीकार नहीं किया उसने कथन किया कि "जब वसीयत की ही नहीं थी तो हम मुकदमा क्यों दायर करते।" मैंने दिनांक 02.02.1979 की कोई वसीयत देखी ही नहीं न ही वादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत कराया गया, न ही मेरे पास उक्त वसीयत की कोई सत्यापित प्रति है। श्रीमती फात्मा ने वादिनी के पक्ष में कोई बैनामा नहीं किया था न ही ऐसा कोई बैनामा मैंने देखा है। उक्त साक्षी शफीक द्वारा वादग्रस्त दुकान की स्वामिनी अपने पति की मृत्यु के बाद श्रीमती फात्मा को नहीं माना है तथा वादिनी के पति मो० रफीक के द्वारा फल का व्यवसाय न किये जाने का कथन किया है और जो लाइसेन्स प्रतिवादी द्वारा दाखिल किये गये हैं वे वादग्रस्त दुकान के हैं। प्रतिवादी द्वारा श्रीमती मुन्नी को साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह अजीज की पुत्री। उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि पिछले 8 वर्षों से वादग्रस्त दुकान पर शफीक बैठता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त दुकान का संचालन प्रतिवादी द्वारा ही किया जा रहा था। वादिनी सम्बन्धित वसीयत को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और स्वामित्व की श्रंखला को स्पष्ट नहीं किया गया है चूंकि यह मुस्लिम वैयक्तिक विधि से सम्बन्धित प्रकरण है जिसमें मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नी के पक्ष में 1/3 भाग से अधिक भाग की सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा यह भी आवश्यक है कि वादिनी यह स्पष्ट करती कि वादग्रस्त दुकान अब्दुल अजीज की सम्पूर्ण सम्पत्ति में से कितना हिस्सा थी और यदि वह 1/3 से अधिक था तो क्या वादिनी द्वारा अन्य उत्तराधिकारियों की लिखित सहमति प्राप्त की गयी थी। इन सभी प्रश्नों का वादिनी द्वारा कोई समुचित उत्तर मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्यों के माध्यम से नहीं किया गया। इस प्रकार वाद बिन्दु सं० 1 वादिनी के विरुद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०–2

वाद बिन्दु सं० 1 इस आशय का विरचित है कि क्या वादिनी प्रतिवादी से दौराने वाद व आईन्दा दखल मिलने तक निम्न वर्णित दुकान का उपभोग धन 2500/– रुपये माहवार की दर से पाने की अधिकारिणी है?

उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादिनी का है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिनी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि उसे वादग्रस्त दुकान की उपभोग राशि मु० 2500/– रुपये दिलाये जाये। न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद बिन्दु सं० 1 वादिनी के विरुद्ध विस्तृत विश्लेषण के उपरान्त निस्तारित किया जा चुका है, जिसके अनुसार न्यायालय वादिनी को वादग्रस्त दुकान की स्वामिनी नहीं मानती है। इस प्रकार स्वामित्व के अभाव में वादग्रस्त दुकान का किराया अथवा उपभोग राशि प्राप्त करने के वादिनी अधिकारिणी नहीं है। इस प्रकार वाद बिन्दु सं० 2 वादिनी के विरुद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं०–3 व 4</u>

वाद बिन्दु सं० 3 एवं 4 पूर्व में ही न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2015 को निर्णीत किये जा चुके हैं और ये निर्णय के अंग होंगे।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं०–5</u>

वाद बिन्दु सं० 5 इस आशय का विरचित है कि क्या वादिनी प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष पाने की अधिकारिणी है? यदि हां तो क्या?

वादिनी द्वारा अनुतोष के बाबत कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। इस प्रकार वाद बिन्दु संख्या 5 वादिनी के विरुद्ध में एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन, पत्रावली पर दाखिल किये गये अभिलेखों के परिशीलन से दावा वादिनी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है। वाद की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए दोनों पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सौरभ ओझा)
प्रथम सिविल जज(अ०ख०)
बुलन्दशहर

<u>दिनांकः **07.01.2026**</u>

उक्त निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित है एवं मेरे द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय का प्रभावी अंश उद्घोषित किया गया।

(सौरभ ओझा)
प्रथम सिविल जज(अ०ख०)
बुलन्दशहर।

<u>दिनांकः **07.01.2026**</u>

कौशल शाक्य आशुलिपिक

J.O.Code UP 3265